Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 16-12-2005

Participants : Kumar Shri Shailendra

>

Title : Need to disallow foreign lawyers to practice in India as is being considered at the WTO Conference in Hong Kong.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। डब्लू.टी.ओ. हांग कांग की बैठक में सरकार को किसी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के वकीलों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का कोई फैसला भी सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए। डब्लू.टी.ओ. हांग कांग के दबाव के चलते लीगल प्रोफैशन को चैप्टर ऑफ सर्विसेज़ के अंतर्गत लाने की चर्चा चल रही है। लीगल प्रोफैशन को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। सन् 2000 में देश के सभी वकीलों ने इसका जमकर विरोध किया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि विदेशी वकीलों को यहां पर आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए ताकि हमारे देश के अधिवक्ताओं का सम्मान बना रहे।

महोदय, यदि विदेश से वकील यहां आएंगे तो सस्ता न्याय नहीं मिल पाएगा। तमाम गरीब लोगों को न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है। विदेशी वकील आने के बाद तो सस्ता न्याय भी नहीं मिलेगा। इसका जमकर विरोध होना चाहिए। माननीय मंत्री जी की तरफ से इस संबंध में जवाब आना चाहिए और सरकार को कमलनाथ जी से इस बारे में टेलीफोन पर बात करनी चाहिए कि इस प्रकार की यदि कोई बात आए तो हिन्दुस्तान को इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह ध्यान रखें कि यहां जो अधिवक्ता हैं, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे।